राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक.एफ. 1(2)डीओपी/ए–II/84 जयपुर, दिनांक : 31.1.2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन.**– राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,–

(i) विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(छ) "आयुक्त/निदेशक" से आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;";

(ii) विद्यमान खण्ड (झ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ञ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (झझ) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(झझ) "विनियम" से समय–समय पर यथासंशोधित और राज्य सरकार द्वारा यथा अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) विनियम, 2010 अभिप्रेत हैं।

(iii) खण्ड (ड) में, अंत में अभिव्यक्ति "और" जोड़ी जायेगी; और

2/2018

"38. रिक्त पद पर भर्ती के लिए विशेष उपबन्ध और कार्य–भार.– (1) अधिवार्षिकी, मृत्यु, नये महाविद्यालयों में पदों के सृजन या किसी अन्य कारण से संवर्ग में किसी रिक्ति को केवल सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा और उस पद को, जो कैरियर उन्नति स्कीम (कै.उ.स्की.) के अधीन सहायक आचार्य से सह–आचार्य और सह–आचार्य से आचार्य पर पदोन्नति के पश्चात् रिक्त हो, सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जायेगा।

(2) प्राचार्य, आचार्य, सह–आचार्य और सहायक आचार्य का कार्य–भार सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित मानकों के अनुसार होगा।

11. अनुसूची–I का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–I के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुसूची–I

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति/चयन किया जाना है	पदोन्नति/चयन के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासनिक पद						
1	आयुक्त/ निदेशक	100% चयन द्वारा	–	प्राचार्य/ संयुक्त निदेशक	स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	सरकार किसी भी समय जब स्थिति की ऐसी मांग हो, आयुक्त/निदेशक के पद पर किसी भा.प्र.से. के अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।
अध्यापन पद						
2	महाविद्यालय का प्राचार्य/संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक)	100% चयन द्वारा	–	आचार्य/सह–आचार्य/उप प्राचार्य	(i) आचार्य जो सुसंगत शाखा में पीएच.डी डिग्री रखता हो, प्राचार्य के रूप में पदोन्नति का पात्र होगा।	(i) 75% पद सह–आचार्यों/उप प्राचार्यों के पद से भरे जायेंगे और शेष 25% पद उपलब्ध आचार्यों के पद द्वारा भरे जायेंगे।

					कार्यक्रम, व्यावहारिक कौशल विकास कार्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम के प्रवर्गों में से न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम। (iv) अनुसूची–I से संलग्न परिशिष्ट–I की सारणी–I और सारणी II (क) तथा II (ख) में यथाउपबंधित चयन समिति वही होगी जो नियम 23 में यथा विहित है।	
6	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 8000)	100% पदोन्नति द्वारा	–	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 7000)	विनियमों के खण्ड 6.4. 6 के अनुसार।	
7	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 7000)	100% पदोन्नति द्वारा	–	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 6000)	विनियमों के खण्ड 6.4.5 के अनुसार।	
8	सहायक आचार्य	100% सीधी	(i) अच्छा शैक्षणिक	–	–	–

		भर्ती द्वारा	अभिलेख साथ में किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कम से कम 55% अंक (या अंकमान पर समतुल्य ग्रेड जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है), या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से कोई समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण			

			करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट उत्तीर्ण हो। (iii) ऐसे अभ्यर्थी			

			को, जो या जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गयी है, सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की अपेक्षा से छूट दी जायेगी।			

			(iv) शाखाओं के ऐसे स्नातकोत्तर प्रोग्रामों में भी नेट/स्लेट/सेट की अपेक्षा नहीं की जायेगी जिनके लिए नेट/स्लेट/सेट संचालित नहीं की जाती हैं।			